



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082024-256495
CG-DL-E-20082024-256495

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 175]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 20, 2024/श्रावण 29, 1946

No. 175]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 20, 2024/SHRAVANA 29, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2024

आ.अ. 186(अ).—यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं.-100/रा.स.- मध्य प्रदेश/08/2024 (1) दिनांक 14 अगस्त, 2024 के जरिए मध्य प्रदेश से राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया था; और

यतः, उपर्युक्त निर्वाचन के लिए मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि 26 अगस्त, 2024 नियत की गई थी; और

यतः, मध्य प्रदेश सरकार ने अधिसूचना दिनांक 14.08.2024 के जरिए 26.08.2024 को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया था जो मध्य प्रदेश से राज्य सभा के लिए चल रहे उप-निर्वाचन के लिए अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए नियत की गई अंतिम तिथि भी है; और

यतः, आयोग ने मामले पर विचार करने के बाद, उक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि को 27.08.2024 के रूप में पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया है;

अब, इसलिए, आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निदेश देता है कि इसकी अधिसूचना सं.-100/रा.स.-मध्य प्रदेश/08/2024 (1) दिनांक 14 अगस्त, 2024 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा; अर्थात्;

खंड (आ) के उप-खंड (ग) में मौजूदा प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी:

“(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि – 27 अगस्त, 2024 (मंगलवार);”

[फा. सं. 100/रा.स.- मध्य प्रदेश/08/2024 (1)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2024

O.N. 186(E).—WHEREAS, the Commission, vide its Notification No. 100/CS-MP/08/2024 (1), dated 14th August, 2024, had notified the schedule for bye election to the Council of States from Madhya Pradesh; and

WHEREAS, the last date for withdrawal of candidatures in respect of State of Madhya Pradesh for the above election was fixed as 26th August, 2024; and

WHEREAS, the Government of Madhya Pradesh vide notification dated 14.08.2024 declared 26.08.2024, a public holiday under N. I. Act, 1881 which is also the date fixed for last date of withdrawal for candidatures for the ongoing bye election to the Council of States from Madhya Pradesh; and

WHEREAS, the Commission, after taking into consideration the matter, has decided to re-schedule the last date for withdrawal of candidatures for the said election to 27.08.2024;

Now, therefore, the Commission, in exercise of its powers conferred under Section 39 of the Representation of the People Act, 1951, hereby directs that the following amendment shall be made in its Notification No. 100/CS-MP/08/2024 (1), dated 14th August, 2024, namely;

For the existing entries in sub clause (c) of clause (B), the following entry shall be substituted:

“(c) the 27th August, 2024 (Tuesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;”

[F. No. 100/CS-MP/08/2024 (1)]

By Order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.